

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/02/2016-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 26 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	पासंग नोर्बु भूटिया	2000	25.08.2012
2.	शाइक अहमद	2001	13.01.2013
3.	मानबेंद्र चक्रवर्ती	2001	13.01.2013
4.	सोमनाथ मुखर्जी	2001	13.01.2013
5.	मनींद्र नाथ प्रधान	2002	13.01.2013
6.	रुनु घोष	2002	31.12.2013
7.	गोपाल चंद्र दास	2002	22.03.2014
8.	शहजाद सिब्ली	2002	22.03.2014

राजेश

(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).